प्रारूप–6

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता–राजनीति विज्ञान जो कि उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय/संस्था/कार्यालय में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत किया जाता है–

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक एवं समकक्ष	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	कर्ण सिंह सोढा	राउमावि साजियाली पदमसिंह, पाटोदी, बाडमेर	बाड़मेर	01.08.1961	31.07.2021
2	राणुलाल गाट	राउमावि केलनसर, बाप, जोधपुर	जोधपुर	05.03.1961	31.03.2021
3	इन्द्राज	राउमावि खुईयाला, सम, जैसलमेर	जैसलमेर	15.04.1961	30.04.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरूद्ध आदेश जारी होने की दिनांक तक–

1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

3- कोई न्यायिक कार्यवाहिंया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोटः– सेवानिवृति दिनांक तक कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राज.विज्ञान/सेवानिवृति/2021–22/133 दिनांक–17/03/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित–:

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवानिवृत होने वाले प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से प्रारूप–6 के आशय का शपथ–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर